न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अ0 पत्र संख्याः 136/2017

पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा,
आई.ए.एस

मैसर्स प्राथमिक महिला बहु0 सहकारी समिति, मिर्जापुरा, ग्राम पंचायत मिर्जापुरा, तहसील लालसोट जिला दौसा (राजस्थान) जरिये अध्यक्ष रामकन्या देवी मीना ...अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा (राज0) ...रेपोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी,
दौसा दिनांकः 28.11.2017

उपस्थितः1.श्री पदमसिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपी0 पक्ष
2.श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 24.01.2018

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी, दौसा ने दिनांकः 28.11.2017 को अपीलांट उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स प्राथमिक महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मिर्जापुरा, ग्राम पंचायत मिर्जापुरा, तहसील लालसोट जिला दौसा (राजस्थान) अध्यक्ष रामकन्या देवी मीना का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गयी । रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि अपीलार्थी समिति ग्राम पंचायत मिर्जापुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा की उचित मूल्य दुकान की अधिकृत डीलर है ग्राम पंचायत मिर्जापुरा के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्तिगत रंजिशवश प्रार्थी समिति की झूठी शिकायत की गयी। जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा दिनांक 29.05.2017 को प्रार्थी समिति के प्राधिकार पत्र को कारण बताओं नोटिस जारी किया। जिसका उचित एवं विस्तृत जवाब प्रार्थी समिति द्वारा दिनांक 02.06.2017 को प्रस्तुत कर दिया गया। तत्पश्चात प्रार्थी समिति द्वारा प्रस्तुत जवाब के उपरान्त जिला रसद अधिकारी दौसा के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक, लालसोट द्वारा पुनः प्रार्थी समिति के रिकार्ड की जांच की गई एवं तत्पश्चात् प्रवर्तन निरीक्षक, लालसोट द्वारा पूर्व जांच रिपोर्ट दिनांक 29.05.2017 में सद्भाविक गलती मानते हुए दिनांक 10.07.2017 को संशोधित रिपोर्ट तैयार की जिसमें पूर्व में 863 लीटर केरोसीन कम पाये जाने के आरोप को निरस्त माना जाकर प्रवर्तन निरीक्षक, लालसोट द्वारा दिनांक 11.07.2017 को जिला रसद अधिकारी दौसा को संशोधित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा दिनांक 11.07.2017 को प्रार्थी समिति के प्राधिकार पत्र को बहाल कर दिया गया। लेकिन उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण प्रार्थी समिति के प्राधिकार पत्र को बहाल किये

जाने के पश्चात् खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार को प्रार्थी समिति की झूठी शिकायत की गई। जिसके आधार पर राजस्थान सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 01.08.2017 को संयुक्त जांच दल का गठन किया गया। तत्पश्चात जांच दल द्वारा केवल मात्र शिकायतकर्ताओं के बयानों के आधार पर 2.65 क्वि0 गेहूँ, 10 किलोग्राम चीनी एवं 16 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग माना जाकर आरोप लगाया गया जबकि उक्त आरोप के संबंध में जांच रिपोर्ट में स्पष्ट साक्ष्य का अभाव है। केवल मात्र उपभोक्ताओं के बयानों के आधार पर जांच दल द्वारा गबन माना गया, जबकि प्रार्थी समिति द्वारा उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण पोस मशीन से किया जाता है जिसमें कालाबाजारी की कोई गुंजाईश संभव नही है क्योंकि पोस मशीन द्वारा उपभोक्ता के अंगूठे का बायोमैट्रिक आधार पर मिलान होने पर ही उपभोक्ता के मोबाइल पर जरिये मैसेज आ जाती है। लेकिन जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा प्रार्थी समिति द्वारा प्रस्तुत जवाब को कन्सीडर नही किया जाकर केवल मात्र जवाब को संतोषप्रद नही माने जाने के तथ्यों के आधार पर प्रार्थी समिति के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर जिला रसद अधिकारी दौसा का आदेश दिनांक 28.11.2017 खारिज फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि जांच मौके पर उचित मूल्य दुकान बन्द पाई गई नोटिस बोर्ड पर दुकान बंद होने का कोई कारण अंकित नही होना पाया गया। दूरभाष पर सम्पर्क कर कर दुकान खुलवायी गई। दुकान की जांच आपके पुत्र राकेश मीना द्वारा सम्पादित करवाई। जिसमें निम्नांकित कमियॉ पाईगईः–

1. दुकान के बाहर एनएफएसए–ई सूची चस्पा होना नही पाई गई तथा न ही अन्य वांछित सूचनाओं यथा मूल्य व स्टॉक बार्ड, सूचना पट्ट, विभागीय अधिकारियों के दूरभाष नं0 आदि का प्रदर्शन नहीं पाया गया।
2. मौके पर प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टर में गेहूं, केरोसीन व चीनी का नियमित संधारण नही किया जाना पाया गया।
3. जांच मांगे जाने पर भी गत माहो की मासिक रिटर्न की प्रतियां वास्ते जांच मौके पर प्रस्तुत नही की गई।
4. जांच मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर समिति द्वारा नियमित रूप से दुकान नही खोली जानी व राशन सामग्री वितरण की पॉसम मशीन की प्रिन्टेड पर्ची नही दिया जाना पाया।
5. जांच तथ्य सामने आया कि एक ही राशन कार्ड धारक श्रीमति हरबाई पुत्री श्री कल्याण सहाय के नाम से दो राशन कार्ड 007891800277 बीपीएल व 200000252132 एएवाई पाये गए तथा दोनो में राशन सामग्री प्राप्ति के इन्द्राज पाये गए।
6. दुकान पर थोक विक्रेता द्वारा कि गई आपूर्ति व वितरण का मिलान करने पर 174 किग्रा गेहूं अधिक पाया गया तथा 863 लीटर केरोसीन व एक किग्रा चीनी कम पाई गई।

Web Copy - Not Official

इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 8,11,14,17सी व 18 व खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जो दण्डनीय अपराध है। अतः अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई जॉच के आधार पर डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीलर द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात जॉच विचाराधीन रखते हुए दिनांक 12.07.2017 को प्राधिकार पत्र बहाल किया गया था। उसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर से प्राप्त शिकायत दिनांक 06.09.2017 की पृथक से खाद्य विभाग द्वारा दिनांक

[illegible].08.2017 को गठित जॉच दल से शिकायत की जॉच करवाई गई। तद् जॉच के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी, दौसा को रिपोर्ट प्राप्त होने पर डीलर का प्राधिकार पत्र जाँच में अनियमिताऍ मिलने पर निरस्त किया गया था। इसलिए अपीलांट का कथन उचित नहीं है कि उनकी झूँठी शिकायत की गई है। मौके पर मिले साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर जॉच दल द्वारा समिति की जॉच की गई है। प्रवर्तन अधिकारी की जॉच रिपोर्ट में हॉलाकि रिकॉर्ड जॉच हेतु पेश नहीं करना डीलर की अनियमितता है। किंतु उससे भी गंभीरता का विषय डीलर द्वारा फर्जी राशनकार्डो में एन्ट्री की जाकर व पॉस मशीन की पर्चियां उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाना व राशन सामग्री का दुरुपयोग कर कालाबाजारी की गई है। साथ ही थोक विक्रेता द्वारा की गई आपूर्ति व वितरण का मिलान करने पर 174 क्विंटल गेहूँ अधिक तथा 863 लीटर केरोसिन तेल व एक क्विंटल चीनी कम पाई गई है। इससे स्पष्ट है कि डीलर द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से उपभोक्ताओं को वितरण की जाने वाली सामग्री की कालाबााजारी की जाती है। इस प्रकार डीलर का कृत्य संदेहास्पद प्रतीत होता है। डीलर द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से कालाबाजारी कर उक्त कृत्य किया गया है। जिसके लिए वह दोषी है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश संख्या 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 8,11,14,17सी व 18 व खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जो दण्डनीय अपराध है। गठित जॉच दल की रिपोर्ट, फर्द मौका एवं बयान आदि से कालाबाजारी करना बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी, दौसा के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 24 जनवरी, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official